भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2023

क्रमांक 599/मप्रविनिआ/2023. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(2)(यघ) सहपठित धारा 45 एवं 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 **{आरजी–35(III), वर्ष विनियम, 2021},** जिसे एतद् पश्चात् "मूल विनियम" निर्दिष्ट किया गया है, का संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 में प्रथम संशोधन {एआरजी–35(III)(i), वर्ष विनियम, 2023}

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ

1.1 ये विनियम **"**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 **{एआरजी–35(III)(i) वर्ष 2023}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू होंगे।

1.3 ये विनियम इन विनियमों की अधिसूचना दिनांक से दिनांक 31 मार्च, 2027 तक प्रभावशील रहेंगे।

2. विनियम 4 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 4 "परिभाषाएं" के अन्तर्गत निम्न परिभाषा अन्तःस्थापित की जाए : –

"(यङ)(क) **'ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge (FPPAS)'** से अभिप्रेत आयोग द्वारा अनुमोदित आपूर्ति की लागत के संदर्भ में, ईंधन लागत तथा विद्युत क्रय लागत

में परिवर्तन के कारण, उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई विद्युत की लागत में वृद्धि से है।

3. विनियम 9 में संशोधन

मूल विनियमों में विद्यमान विनियम 9 के स्थान पर निम्न विनियम 9 स्थापित किया जाए :

"9.1 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (FPPAS) सूत्र को, अधिनियम की धारा 62(4) के अनुसार विनिर्दिष्ट किया गया है।

9.2 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की, विनियामक अनुमोदन की प्रक्रिया से गुजरे बिना, मासिक आधार पर, आयोग द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार, वार्षिक आधार पर सत्यापन (true up) के अध्यधीन, स्वतः संगणना की जाएगी और उपभोक्ताओं को देयक प्रेषित किया जाएगा :

परन्तु यह कि इन विनियमों के अनुसार मासिक बिलिंग हेतु स्वचालित अन्तरण (automatic passthrough) को समायोजित किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी, मासिक आधार पर, ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (FPPAS) की संगणना के सात दिवस के भीतर, आवश्यक विवरण सुसंगत प्रलेखों सहित आयोग को प्रस्तुत करेगा एवं जब आवश्यक होगा, आयोग अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त कर सकेगा।

9.3 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा n वें माह में प्राप्त की गई विद्युत हेतु ईंधन और विद्युत क्रय की लागत में वास्तविक भिन्नता के आधार पर (n+2) वें माह में संगणना की जाएगी और प्रभारित किया जायेगा। उदाहरण के तौर पर, किसी वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह के दौरान प्रदाय की गई विद्युत के लिये विद्युत–दर (टैरिफ) में परिवर्तनों के कारण, ईंधन और विद्युत क्रय अधिभार की संगणना की जाएगी तथा उसी वित्तीय वर्ष के जून माह में देयक प्रेषित किये जाएंगे :

परन्तु यह कि यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी, किसी अप्रत्याशित घटना के मामले के अलावा, निर्धारित समय सीमा के भीतर ईंधन और विद्युत क्रय

समायोजन अधिभार की संगणना करने और प्रभारित करने में विफल रहता है तो उसका ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के कारण वसूली का अधिकार वापस ले लिया जाएगा तथा ऐसे मामलों में सत्यापन (true-up) के दौरान ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की वसूली का अधिकार भी वापस ले लिया जाएगा।

9.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह निर्णय ले सकेगा कि ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार या उसका एक भाग, उपभोक्ताओं को किसी विद्युत–दर (टैरिफ) आघात से बचाने के लिये अगले माह तक आगे बढ़ाया जाए, परन्तु ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार को आगे बढ़ाये जाने की यह अवधि अधिकतम दो माह से अधिक नहीं होगी और इसे तभी आगे बढ़ाया जाएगा, यदि किसी बिलिंग माह के लिये पिछले माह के आगे बढ़ाये गये ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार सहित कुल ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार, अनुमोदित विद्युत–दर (टैरिफ) के ऊर्जा प्रभार के बीस प्रतिशत से अधिक हो।

9.5 आगे बढ़ाये गये अधिभार को एक वर्ष के भीतर या अगले टैरिफ चक्र से पूर्व, जो भी पहले घटित हो, वसूला जाएगा तथा ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के माध्यम से वसूल की गई धनराशि को पहले ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के सबसे पुराने आगे बढ़ाये गये भाग एवं इसके बाद अनुवर्ती माह के विरूद्ध गणना मे लिया जायेगा।

9.6 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार को आगे बढ़ाये जाने के प्रकरण में, भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर में एक सौ पचास बेसिस पाइंट जोड़ कर वहनीय लागत की अनुमति प्रदान की जाएगी जब तक कि इसे विद्युत–दर (टैरिफ) के माध्यम से वसूल नहीं लिया जाता तथा इस वहनीय लागत का सत्यापन (true-up) विचाराधीन वर्ष में किया जाएगा।

9.7 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की मात्रा के आधार पर, स्वचालित अन्तरण (automatic passthrough) इस प्रकार समायोजित किया जाएगा कि

(एक) यदि ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार 5% तक है तो संगणित ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की वसूली योग्य लागत का शतप्रतिशत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सूत्र का प्रयोग करते हुए स्वतः उदग्रहण किया जाएगा।

(दो) यदि ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार 5% से अधिक है तो 5% ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार उपरोक्त उप–विनियम 9.7 (एक) के अनुसार स्वचालित रूप से वसूली योग्य होगा। शेष ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार का 90% सूत्र का उपयोग करते हुए स्वचालित रूप से वसूली योग्य होगा तथा आयोग द्वारा सत्यापन (true-up) के बाद अन्तरसंबंधी दावा वसूली योग्य होगा।

9.8 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के खाते में वसूले गये राजस्व को, विचाराधीन वर्ष के लिये बाद में सत्यापित किया जाएगा और किसी भी वित्तीय वर्ष के लिये सत्यापन अगले वित्तीय वर्ष के 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा।

9.9 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के निमित्त वर्ष के लिये वसूले गये अधिक राजस्व के प्रकरण में इसे अनुज्ञप्तिधारी से सत्यापन (true-up) के समय वसूला जाएगा, साथ ही इसकी वहनीय लागत आयोग द्वारा अनुमोदित वहनीय लागत दर के 1.2 गुना पर प्रभारित की जाएगी और ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की कम वसूली को सत्यापन के दौरान स्वचालित ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार राशि के साथ बिल किये जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

स्पष्टीकरण :–उदाहरण के लिये जुलाई माह में, मई में प्रदाय की गई विद्युत के लिये स्वचालित अन्तरण (pass through) घटक और पिछले वित्तीय वर्ष में अप्रैल माह के लिये सत्यापन के पश्चात् वसूली–योग्य, अतिरिक्त ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार यदि कोई हो, को बिल किया जाएगा।

9.10 वितरण अनुज्ञप्तिधारी सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ) के सत्यापन के दौरान निर्धारित प्रपत्रो में, किये गये व्यय तथा वसूले गये ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार के मध्य भिन्नता के विवरण प्रस्तुत करेगा, और विस्तृत संगणनाएं तथा सहायक प्रलेख, जो कि आयोग द्वारा अपेक्षित होंगे, प्रस्तुत करेगा।

9.11 ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार क्रियाविधि के सुचारू कार्यान्वयन और इसकी वसूली सुनिश्चित करने के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी बिलिंग प्रणाली को उक्त को ध्यान में रखते हुए अद्यतन किया गया है और यह सुनिश्चित करने हेतु एक एकीकृत बिलिंग प्रणाली लागू की जाएगी जिसमें भिन्न बिलिंग और मापयन्त्र (मीटरिंग) विक्रेता के बावजूद अन्तर–संचालनीयता (inter operability) या यथा–उपलब्ध निर्बाध–स्त्रोत सॉफ्टवेयर पर (open source software) के उपयोग के माध्यम से एक समान बिलिंग प्रणाली अस्तित्व में हो।

9.12 अनुज्ञप्तिधारी ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार सूत्र, मासिक ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की संगणना तथा ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (स्वचालित एवं अनुमोदित भागों हेतु पृथक–पृथक) की वसूली सहित समस्त विवरण अपनी वेबसाईट पर प्रकाशित करेगा तथा उसे एक समर्पित वेब पते के मांध्यम से पुरालेखित करेगा।

9.13 **ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की संगणना :**

n वें माह के लिये ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार का सूत्र निम्नानुसार है :

$$\text{n वें माह हेतु मासिक FPPAS(\%)} = \frac{(A-B)^{*}\ C\times 100}{\{Z^{*}(1-\text{वितरण हानियां प्रतिशत में}/100)\}^{*}ABR}$$

जहां "n"वें माह से अभिप्रेत वह माह है, जिसमें ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार घटक की बिलिंग की जाती है। यह ईंधन और विद्युत क्रय

समायोजन अधिभार (n-2) वें माह में प्रदाय की गई विद्युत के लिये ईंधन और विद्युत क्रय लागत में बदलाव के कारण लगाया गया है ;

"A" समस्त–स्त्रोतों से (n-2) वें माह में क्रय की गई यूनिट (kWh) है जिनमें दीर्घ अवधि, मध्यम अवधि एवं लघु–अवधि विद्युत क्रय (जो वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को जारी किये गये देयकों से प्राप्त की जाएगी) सम्मिलित है ;

"B" (n-2) वें माह में सभी स्त्रोतों से प्राप्त की गई विद्युत ("A" के अनुसार) में से किया गया थोक विक्रय है (kWh में) –(जिसे प्रत्येक माह में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी किये जाने वाले अनंतिम खातों से प्राप्त किया जाएगा);

"C" वृद्धिशील (incremental) औसत विद्युत क्रय लागत (रूपये प्रति यूनिट) = "D-E"

"D" = (n-2) वें महीने में (A-B) यूनिटों की खरीद के लिए वास्तविक औसत बिजली खरीद लागत (गणना द्वारा)

"E" = अनुमानित औसत बिजली खरीद सभी स्त्रोतों से (रूपये/यूनिट) (टैरिफ आदेश से)

{टीप **"D" = ("A"** की बिजली खरीद लागत – **"B"** की बिजली बिक्री से आय)/(A-B)}

"Z" = [{(n-2)वें माह में राज्य के बाहर सभी स्त्रोतों से क्रय की गई वास्तविक विद्युत (kWh में)* (1– प्रतिशत में अन्तरराज्यीय पारेषण हानियां/100)+ राज्य के सभी स्त्रोतों से क्रय की गई विद्युत (kWh में)}* (1–प्रतिशत में राज्यान्तरिक हानियां/100)–B] (kWh में)

"ABR" = वर्ष हेतु औसत बिलिंग दर (टैरिफ आदेश से लिया जाएगा रू/(kWh में)

"वितरण हानियां" (प्रतिशत में)=मानदण्डीय वितरण हानियां विनियम 26.1 की तालिका में दर्शायेनुसार

"अन्तर–राज्यीय पारेषण हानियां (प्रतिशत में)"= (टैरिफ आदेशानुसार)

9.14 विद्युत क्रय लागत में विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि (Deviation Settlement Mechanism) के कारण कोई प्रभार सम्मिलित नहीं किये जाएंगे।

9.15 अन्य प्रभार जिनमें सहायक सेवाएं (Ancillory Services) तथा सुरक्षा सीमाबद्ध आर्थिक प्रेषण (Security Constrained Economic Despatch) सम्मिलित हैं, को ईंधन और विद्युत क्रय समायोजन अधिभार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा तथा इन्हें आयोग द्वारा सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ) के सत्यापन माध्यम से समायोजित किया जाएगा।

9.16 विद्युत क्रय लागत में अनुपूरक देयकों (Supplementary Bills) के माध्यम से बिल किये गये प्रभारों को शामिल नहीं किया जाएगा एवं अनुपूरक देयक विवरण के साथ, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ) की सत्यापन याचिका के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

4. विनियम 47 में संशोधन

मूल विनियमों में विद्यमान विनियम 47 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किया जाए :

"किसी उपभोक्ता, जो समय–समय पर यथासंशोधित (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच की निबन्धन एवं शर्तें) विनियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार किसी विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अन्तर्गत अवस्थित है, को आयोग द्वारा अवधारित प्रति अनुदान अधिभार का भुगतान करना होगा :

परन्तु यह कि आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आयोग द्वारा अवधारित अधिभार विद्युत प्रदाय की औसत लागत के बीस प्रतिशत से अधिक न होगा।"

टीप : इस मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 में प्रथम संशोधन **{एआरजी–35(III)(i), वर्ष विनियम, 2023}** के हिन्दी रूपान्तरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्त पांडा, सचिव.